

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 12/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/17

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. केहनाराम पुत्र अणदाराम		1. आसुराम पुत्र बालाराम
2. पूनमाराम पुत्र अणदाराम		2. जेठाराम पुत्र कुंभाराम
3. लाखाराम पुत्र अणदाराम		3. दौलाराम पुत्र बालाराम
4. दीपाराम पुत्र अणदाराम		4. नैनूदेवी पत्नी कुंभाराम
5. वगताराम पुत्र अणदाराम		5. नारायणराम पुत्र कुंभाराम
जाति जाट		6. लाखाराम पुत्र बालाराम
निवासी धर्मोणी काकड़ो की ढाणी		7. हथूदेवी पत्नी बालाराम
जानियाना तहसील पचपदरा व		जाति जाट निवासी धर्मोणी काकड़ो की
जिला बालोतरा		ढाणी जानियाना तहसील पचपदरा व
		जिला बालोतरा
		8. चौखाराम पुत्र लाखाराम
		जाति जाट निवासी मूलजी की ढाणी
		9. जालाराम पुत्र जेठाराम
		जाति जाट निवासी माडपुरा बरवाला
		तहसील बायतु
		10. तेजराम पुत्र जेठाराम
		जाति जाट निवासी घड़ोई नाड़ी
		जानियाना तहसील पचपदरा
		11. खूमाराम पुत्र गोरधनराम
		12. तगाराम पुत्र गोरधनराम
		जाति जाट निवासी धर्मोणी काकड़ो की
		ढाणी जानियाना तहसील पचपदरा
		13. चम्पालाल पुत्र अणदाराम
		14. मगाराम पुत्र अणदाराम
		जाति जाट निवासी मुठों की ढाणी
		बायतु पनजी तहसील बायतु
		15. जेताराम पुत्र कानाराम
		जाति जाट निवासी घड़ोई नाड़ी



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

16.राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार  
पंचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
- 2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 22/05/2015


1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम घर्मोणी काकड़ो की ढाणी पटवार हल्का जानियाना तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 69/3 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 80/3 क्षेत्रफल 4.0469 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मर्मोणी काकड़ो की ढाणी पटवार हल्का जानियाना तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 69/3 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 80/3 क्षेत्रफल 4.0469 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 व 13 से 15 की ओर से जरिए अधिवक्ता श्री जूंजाराम पटेल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा उक्त विप्रार्थी की

ओर से जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 से 12 व 16 के नोटिस सम्यक तामीली के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने उभय पक्षकारान अधिवक्तो की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम घर्मोणी काकड़ो की ढाणी पटवार हल्का जानियाना तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 69/3 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 80/3 क्षेत्रफल 4.0469 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा




  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम धर्मोणी काकड़ों की ढाणी पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 69/3 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 80/3 क्षेत्रफल 4.0469 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से आवेदन पत्र मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर विप्रार्थी द्वारा कभी भी दखलदान्जी नहीं गई है। जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी का मूल खसरा संख्या 03 रकबा करीबन 1166.07 बीघा भूमि थी, जो तत्कालीन खातेदार सांवतसिंह ने समय समय पर भूमि के विशेष हिस्से को 24 व्यक्तियों को बेचान किया गया था तथा बेचान की गई भूमि के माफिक उतने ही रकबे पर खरीददार को कब्जा सुपुर्द किया तथा मौके पर सेढे व माटे कायम की हुई है, जो वक्त खरीद से उसी के अनुरूप काश्त करते आ रहे हैं। इस प्रकार मूल खातेदार ने संपूर्ण भूमि का बेचान कर दिया। प्रार्थीगण रकबा 34.10 बीघा भूमि खरीद की नामान्तरण दर्ज किया गया। मगर राजस्व कमीयों ने नक्शे में खरीद रकबे से अधिक 45 बीघा भूमि बताकर तरमीम कर दी गई। जिसका प्रार्थीगण अवैध रूप से नाजायज फायदा उठाकर नेखमबंदी की आड़ में विप्रार्थी की भूमि को हड़प करना चाहते हैं। इसके विपरीत विप्रार्थी की खातेदारी भूमि का नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई। इस प्रकार प्रार्थीगण व विप्रार्थी के मध्य सीमा को लेकर कभी विवाद नहीं रहा। गलत तरमीम होने से विवाद उत्पन्न हुआ है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पर रेकर्ड, मौके व रकबे में किसी भी प्रकार की भिन्नता या त्रुटि पाई जाती है तो रेकर्ड की दुरुस्ती के उपरांत ही अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अगर बिना रेकर्ड सुधार के नेखमबंदी के आदेश प्राप्त कर नेखमबंदी की कार्यवाही की जाती है, तो फर्द मौका रिपोर्ट बनाए जाएगी, जिसको विप्रार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय में चुनौति पड़ेगी, जिससे कई कानूनी पेचदियगिया में उलझना पड़ेगा। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।



जिन उभय-पक्षकारान अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम धर्मोणी काकड़ों की ढाणी पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 69/3 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 80/3 क्षेत्रफल 4.0469 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड खातेदार है, और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की

  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालेश्वर

नेरुमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण प्रथम दृष्टता हकदार प्रतीत होते हैं। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित शीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 16.6.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं कर रखा है तथा विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उजर को मध्यनजर रखते हुए विवादित आराजी की पैमाईश समग्र तरीके से करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार हैं। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम धर्मोणी काकड़ो की ढाणी पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 69/3 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 80/3 क्षेत्रफल 4.0469 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। उक्त कार्यवाही करने से पूर्व एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर उभय-पक्षकारान को जरिए नोटिस सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।



(अशोक कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22/05/2025 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा  
22/05/2025